ऑन लाईन नं.GCMS2024/21

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 15/2024

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रवि सैनी पुत्र श्री औंकार(ओमकार) –खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक – **मै0** रवि स्वीट्स एंड रबड़ी फलूदा, वार्ड नं. 19 नया, लीला चौक, बत्तरा फ्लोर मिल के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 03.05.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन कमांकः–प.5(01)चि.स्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 के गजट में प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–आयुक्ता0/ खासुऔनि/संस्था/2023/900 दिनांक 296.03.2023 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.08.2023 को समय 12.45 पी.एम. को **मै0** रवि स्वीट्स एण्ड फलूदा, वार्ड नं. 19 नया, लीला चौक, बतरा फ्लोर मिल के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता एवं मालिक **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार सैनी** को अपना परिचय देकर संस्थान के काउंटर फ्रिज में रखे **मिल्क केक** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा संस्थान के काउंटर फ्रिज में रखे **मिल्क केक** लगभग 5–6 किलो को आमजन के बेचान वास्ते बताया। **मिल्क केक** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **मिल्क केक** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **मिल्क केक** 02 किलो को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **मिल्क केक** का नगद भुगतान 800/– रूपये किया तथा कैशमीमो

बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क केक** 2 किलो को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखे डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक Firmilin की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1969** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1969** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पंहुचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1414/Act/2023/1414 Dated 19-09-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1969 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार मै0** रवि स्वीट्स एण्ड रबड़ी फलूदा, वार्ड नं. 19 नया, लीला चौक, बतरा फ्लोर मिल के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मिल्क केक** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार सैनी, मालिक मै. रवि स्वीट्स एवं रबड़ी फलूदा, वार्ड नं. 19 नया, लीला चौक, बतरा फ्लोर मिल के पास पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के नाम से कारोबार करता है। दिनांक 31.08.2023 को दोपहर 12.45 बजे प्रार्थी की दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की दुकान पर रखे मिल्क केक की जानकारी प्राप्त की व शक के आधार पर मिल्क केक में

मिलावट का शक होने पर प्रार्थी से 02 किलो मिल्ककेक खरीद किया गया। प्रार्थी काफी समय से कारोबार कर रहा है लेकिन आज तक प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा नहीं की गई है। प्रार्थी ने दुकान पर मिलावट या अमानक या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हुए खाद्य पदार्थ वस्तुओं को ना ही रखा है, ना ही उनका बेचान किया है। प्रार्थी ने खाद्य वस्तुओं को ना ही रखा है, ना ही उनका बेचान किया है। प्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा नियमों व मानकों की पूर्णतः पालना की है। प्रार्थी ने दुकान पर ऐसा कोई खाद्य पदार्थ ना तो रखा है और ना ही बेचान किया हैकजो मिलावटी व अमानक हो व ना ही मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु भण्डारण किया है, जिससे मानव जीवन पर किसी प्रकार का संकट आए व मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो। विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जो मिल्क केक के जो नमूने लिए हैं, वह किसी प्रकार से मिलावटी या अमानक नहीं है, क्योंकि दिनांक 31.08.2023 को नमूने लिए थे जिसकी जांच एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 को मिली। उक्त अविध लगभग 42 दिन में खाद्य पदार्थ खुले या बाहर में रखने से खराब हो जाता है। इसलिए उक्त अवधि में जांच होने से प्रार्थी की दुकान से लिए मिल्ककेक का नमूना स्वयं ही अमानक हो जाता है। यदि प्रार्थी की दुकान से लिए मिल्क केक के नमूने को उचित अवधि में जांच की जाती तो कभी भी मिल्ककेक का नमूना अमानक नहीं होता। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से उपरोक्त कार्यवाही की गई। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि जांच अधिकारी द्वारा अपने परिवाद में लिखा गया है कि दिनांक 12.10.2023 को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को नमूना पुनः जांच करवाने हेतु लिखा गया मगर ऐसी कोई रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। अगर प्रार्थी को विभाग से कोई सूचना प्राप्त होती तो प्रार्थी पुनः जांच अवश्य करवाता परंतु एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा जो मिल्ककेक के नमूने लिए गए थे वह ना तो मिलावटी थे व ना ही उसमें कोई किसी प्रकार का अमानक था जो मानवजीवन हेतु संकटमय हो। मिल्क केक में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी व उसमें किसी प्रकार के बाह्य पदार्थ नहीं मिले हुए थे। इसलिए मात्र शक के आधार प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का काई अपराध नहीं बनता। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई मिलावटी पदार्थ खाद्य पदार्थ ना तो रखा है और ना ही आगे बेचान किया है, इसलिए उक्त परिवाद पत्र खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिल्क केक** का सैम्पल **K-1969** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1414/Act/2023/1414 Dated 19-09-2023 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि मिल्क केक में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी व उसमें किसी प्रकार के बाह्य पदार्थ नहीं मिले हुए थे। इसलिए मात्र शक के आधार प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का काई अपराध नहीं बनता। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई मिलावटी पदार्थ खाद्य पदार्थ ना तो रखा है और ना ही आगे बेचान किया है, इसलिए उक्त परिवाद पत्र खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Milk Cake Mithai " bearing Code No and Sr. No. K-1969, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as extract fat does not conform the standard of milk Fat as prescribed in of of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 18,000–00 (अखरे रूपये अठारह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त **रवि सैनी पुत्र श्री ओंकार** को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने क़े लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।